संख्या-108/2026//001-1390-23-12-2026-2100116

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ : दिनांक 30 अक्टूबर, 2026**

विषयः-प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों एवं शासन के विभिन्न अनुभागों में कम्प्यूटर सिस्टम हेतु आवश्यक कन्ज्यूमेबिल्स आइटम तथा अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के ई-पत्रांक-I/765912/2026 (PWD-EECC0GEN/18/2026-EECC), दिनांक 03.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों एवं शासन के विभिन्न अनुभागों में कम्प्यूटर सिस्टम हेतु आवश्यक कन्ज्यूमेबिल्स आइटम तथा अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य की स्वीकृति हेतु लागत रू0 196.26 लाख (रूपये एक करोड़ छियानबे लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त अधोलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	खण्ड/जनपद का नाम	कार्य का नाम	जी0एस0टी0 सहित कुल लागत	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5
1	लखनऊ कम्प्यूटर सेल लो0नि0वि0	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों एवं शासन के विभिन्न अनुभागों में कम्प्यूटर सिस्टम हेतु आवश्यक कन्ज्यूमेबिल्स आइटम तथा अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य	196.26	196.26

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) उपर्युक्त कार्य पर स्वीकृति इस उपबंध के साथ प्रदान की जाती है कि क्रय सम्बन्धी सभी अद्यतन लागू वितीय नियमों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

(2) प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-11/2017/523/18-2-2017-97(030)/2016, दिनांक 23.08.2017 शासनादेश सं0-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0)/2017, दिनांक 15.01.2018 एवं शासनादेश सं0- 57/18-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2024-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 26.11.2024 तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संगत शासनादेशों तथा अन्य समस्त आदेश/प्रक्रिया के अनुसार यथानियम अपेक्षित सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित प्राविधानों/दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) सामग्रियों की विशिष्टिया, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्याक्ष, मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी तथा सामग्रियों एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाय।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य मद पर व्यय प्रत्येक दशा में की जायेगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(9) प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्तमान में प्रचलित समस्त वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रूप से किये जाने का प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

(12) प्रश्नगत कार्य पर ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त अन्तिम दरों एवं कार्य की वास्तविक लागत से यथासमय शासन को अवगत कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,96,26,000 (रुपये एक करोड़ छियानबे लाख छब्बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054808000500 सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0 संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. वित नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता कम्प्यूटर सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम एवं निर्यात/प्रोत्साहन अनु0-2
11. आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0, कानपुर।
12. लोक निर्माण अनु0-10
13. डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।